बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 99/आवंटन / पटना, दिनांक 21.1.19

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 20/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–108–बिजलीकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष 0101.33.01–सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में गया जिला स्थित सभी पावरलूम (लगभग 900) को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को जमा किये गये शुल्क के 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति एवं इस पर होने वाले अन्य व्यय हेतु रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 359 दि0 17.01.2019 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–108–बिजलीकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.108.0101, विषय शीर्ष 0101.33.01–सब्सिडी मद से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

5 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

6 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 359 दिनांक 17.01.2019 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

18/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 99 / उ0नि0 टन /   पटना, दिनांक 21.1.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 99 / उ0नि0 टन /   पटना, दिनांक 21.1.19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, गया / जिला पदाधिकारी, गया / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय / निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग / प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/1/19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।